

6. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएँ:-

राजस्थान पंचायतीराज नियम-1996 के नियम 266(3) एवं राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 में उल्लेखित योग्यताओं के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा (23) की उप धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 एवं 29 जुलाई 2011 के द्वारा संशोधित अधिसूचना में वर्णितानुसार न्यूनतम योग्यताएं एवं न्यूनतम अंक प्रतिशत विभिन्न वर्गों के लिए निम्नानुसार होंगे :-

6.1 प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :-

A. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 50% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Senior Secondary (Or its equivalent) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations-2002

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

Graduation with 2 year diploma in Elementary Education (By whatever name known)

तथा

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रा.अ.पा.प.) उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है।

संस्कृत शिक्षा अध्यापक कक्षा 1 से 5 (स्तर-प्रथम) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:-

B. न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Mathur
Designation : Secretary
Date: 2025.11.06 18:59:36 IST
Reason: Approved

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 50% marks and 2-year Diploma in Elementary Education (By Whatever name known.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय अथवा इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 45% marks and 2-year diploma in Elementary Education (By whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition, Norms and procedure) Regulations-2002.

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ वरिष्ठ उपाध्याय (या इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Varishtha Upadhyaya (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.)

अथवा

शास्त्री (या इसके समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा) तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

Shastri (Or its equivalent traditional Sanskrit examination) and 2 year Diploma in Elementary Education (By whatever name known).

तथा

राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रा.अ.पा.प.) उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है।

नोट:-उच्च माध्यमिक परीक्षा के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत के संबंध में राज्य सरकार के पत्रांक पं. 7(13)/प्राशि/आयो/2019 दिनांक 20.12.2021 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थी राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य/संस्कृत शिक्षा (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 में आवेदन हेतु पात्र होंगे :-

- (i) उमावि स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामलों में लागू नहीं होगी, जिन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दिनांक 29, जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था।
- (ii) ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 या उसके बाद में प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, उनके उमावि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होने की बाध्यता है।

C. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2022 (लेवल प्रथम) अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2025 (लेवल प्रथम) राज्य सरकार के आदेश पत्रांक: पं.7(13) प्राशि/आयो/2019 जयपुर, दिनांक 16.12.2020 एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 19.09.2025 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

- 6.2 अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डी.एल.एड, सामान्य/संस्कृत शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- 6.3 लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित

12

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Mathur
Designation : Secretary
Date: 2025.11.06 18:59:36 IST
Reason: Approved

जनजाति/सहरिया एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।

- 6.4 **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** की प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम (सामान्य) हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएँ (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।
- 6.5 **संस्कृत शिक्षा विभाग** की प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम (संस्कृत/सामान्य) हेतु अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा तिथि तक सभी न्यूनतम योग्यताएँ (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। परीक्षा तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।
- 6.6 ऑनलाइन आवेदन की शैक्षणिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षणिक योग्यता स्नातक व सेवान्मुक्त भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तावेज अपलोड किये जाने आवश्यक हैं। यदि आप द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका या डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड करनी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद एवं यदि अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटेरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा से पूर्व अहर्ता हासिल कर लेगा। अस्पष्ट एवं टेढ़े-मेढ़े, Blank एवं वाटरमार्क तथा ऑनलाईन WebTools का प्रयोग कर Srink किये गये, अस्पष्ट दस्तावेज मान्य नहीं किये जाएंगे और ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र/डिबार घोषित किया जा सकता है।
- 6.7 ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरान्त स्नातक के समतुल्य जारी प्रमाण पत्र हैं, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाईन आवेदन भरते समय शैक्षणिक योग्यता के सीनियर सैकण्डरी/स्नातक के कॉलम में रोलनम्बर के स्थान पर 'Not Applicable' एवं परिणाम में Grade का चयन कर 'N' Grade अंकित कर आवेदन कर सकते हैं तथा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड करें।

6.8 अन्य योग्यताएँ –

- **स्वास्थ्य**— उक्त पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।
- **चरित्र** :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

7. राष्ट्रीयता :-

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

Signature Not Verified

Digitally signed by Preeti Mathur
Designation : Secretary
Date: 2025.11.06 18:59:36 IST
Reason: Approved